न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या - 19/2020
दायरा दिनांक - 08/09/2020
निर्णय दिनांक - 24/2/2021

उनवान

1. श्योराम पुत्र भूरा जाति स्वामी निवासी स्वामी की ढाणी महनपुर तह0 बानसूर जिला अलवर राज0

-- प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण :-
1. प्रार्थी - श्री भैरुसहाय स्वामी एड0
2. अप्रार्थी - पैरोकार सरकार

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश मेरे समक्ष पेश हुई। पत्रावली के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा न0 979 रकबा 0.13 है0 साबिक ख0नं0 787 रकबा 10 बिस्वा, 1007 रकबा 0.31 है0 साबिक ख0नं0 812 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , 1009 रकबा 0.33 है0 साबिक खसरा नं0 814 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा , 1039 रकबा 0.20 है0 साबिक ख0नं0 841 रकबा 16 बिस्वा, 1046 रकबा 0.43 है0 साबिक ख0नं0 847 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाकै मौजा महनपुर तह0 बानसूर दौराने बन्दोबस्त सम्वत् 2060 से बने है । उक्त आराजी प्रार्थी को अपने पिता से विरासत में मिली है। राजस्व कर्मचारियों ने विरासत इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम श्योराम दर्ज किया था। तथा उक्त नामान्तकरण का अमल जमाबंदी सम्वत् 2060 बनाते समय प्रार्थी का नाम श्योराम के बजाय श्योदान दर्ज कर दिया। उक्त गलत अंकन हाल जमाबंदी में भी चला आ रहा है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को सरकार से मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिये फॉर्म भरवाने के सिलसिले में पटवारी हल्का से मिलने पर हुई। अप्रार्थी से उक्त गलत अंकन सही कराने हेतु निवेदन करने पर अप्रार्थी के द्वारा उक्त अंकन सही करने से साफ इंकार कर दिया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी के कॉलम खातेदारी में प्रार्थी का नाम श्योदान पुत्र भूरा के बजाय श्योराम पुत्र भूरा दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपना जवाब पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 03 को मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.06 15:11:21 IST
Reason: SelfAttested

rajesh/court decision/2021/SDO/136 LR ACT/ श्योराम बनाम तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर

Scanned with CamScanner

बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया । विवादित आराजी हाल खसरा न0 न0 979 रकबा 0.13 है0 साबिक ख0नं0 787 रकबा 10 बिस्वा, 1007 रकबा 0.31 है0 साबिक ख0नं0 812 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , 1009 रकबा 0.33 है0 साबिक खसरा नं0 814 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, 1039 रकबा 0.20 है0 साबिक ख0नं0 841 रकबा 16 बिस्वा, 1046 रकबा 0.43 है0 साबिक ख0नं0 847 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाकै मौजा महनपुर तह0 बानसूर प्रार्थी को उनके पिता भूरा पुत्र झुथा कौम स्वामी निवासी महणपुर की मृत्यू उपरान्त विरासत नामान्तकरण सं0 875 जो कि ग्रा0पं0 महणपुर द्वारा दिनांक 23.08.1999 को स्वीकार किया गया है, से प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थी का सही नाम श्योराम पुत्र भूरा ही दर्ज किया गया है तथा जमाबंदी सम्वत् 2055 में भी सही अंकन किया गया है। परन्तु बन्दोबस्त सम्वत् 2060 की जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी का नाम श्योराम के स्थान पर श्योदान गलत दर्ज कर दिया जिसकी पुनार्वृति हाल रिकॉर्ड में आदिनांक तक होती चली आ रही है। उक्त उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–ः आदेशः–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार कर हाल आराजी खसरा न0 979 रकबा 0.13 है0 ,1007 रकबा 0.31 है0 , 1009 रकबा 0.33 है0 , 1039 रकबा 0.20 है0, 1046 रकबा 0.43 है0 वाकै मौजा महनपुर तह0 बानसूर में दर्ज प्रार्थी का नाम श्योदान पुत्र भूरा के स्थान पर श्योराम पुत्र भूरा शुद्ध किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार बानसूर को अहकाम ज़ारी हो। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 24/2/21 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.06 15:11:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner